न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 17 / 2019 (18 आयुध अधिनियम 1959)(R.C.M.S . no 2019/00019)

मुकेश कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द अग्रवाल जाति वैश्य निवासी ग्राम पीपलदातहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर।)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर दिनांक 20.6.2016

उपस्थितिः—

1. श्री राकेश शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 31.5.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 20.6.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट मुकेश कुमार द्वारा दिनांक 26.2.2015 को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमधोपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहत अदालत द्वारा नियमानुसार संबधित समस्त विभागों से इस संबध में रिपोर्ट तलब की गई। जिनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 जोन भरतपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदक (अपीलान्ट) सुरक्षा हेतु नहीं बल्कि दिखावे के लिये हथियार लेना चाहता है। अतः नो—रिकमेन्डेंड किया गया । जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2016 पारित करते हुये आवेदक का प्रार्थना पत्र बाबत नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र पत्रित कर दिया गया है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अपीलाधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों के विपरीत है। यह कि अपीलान्ट स्थाई रूप से ग्राम पीपलदा तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर का मूल निवासी है । और ग्राम पीपलदा में ही अपने परिवार सहित रहता है। अपीलान्ट रसूखदार सामाजिक व्यक्ति है। अपीलान्ट को शस्त्र लाईसेंस की आवश्यकता इसलिऐ हुई कि अपीलान्ट अपने गांव से बाहर व्यापार के सिलसिले में रात विरात आता जाता रहता है। व्यापार के सिलसिले में प्रार्थी को अपने साथ रूपये पैसे भी लाने ले जाने पडते है। इसलिऐ अपनी व घर परिवार की जान–माल की सुरक्षा के लिये अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र की वेहद आवश्यकता है। जिसके चलते अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.2.2015 को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमधोपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहत अदालत द्वारा नियमानुसार संबधित समस्त विभागों से इस संबध में रिपोर्ट तलब की गई। जिनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 जोन भरतपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदक (अपीलान्ट) सुरक्षा हेतु नहीं बल्कि दिखावे के लिये हथियार लेना चाहता है। अतः नो–रिकमेन्डेड किया गया । जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2016 पारित करते हुये आवेदक का प्रार्थना पत्र बाबत नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र मनमाने तरीके से पत्रित कर दिया गया । तहत अदालत ने अपने निर्णय में जो तथ्य अंकित किये है वे बेबुनियाद है । अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट को उक्त गांव का निवासी नहीं माना है जबकि तहत अदालत के समक्ष स्वयं अपीलान्ट के द्वारा निवासी स्थान संबधित दस्तावेज अपनी शस्त्र अनुज्ञापत्र की पत्रावली में प्रस्तुत किये गये है। मुख्यतः तहत अदालत ने अति0 पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन भरतपुर की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है जिसमें अपीलान्ट को जानमाल का खतरा होना प्रकाश में नहीं आना माना है जबकि उक्त रिपोर्ट के संबध में अपीलान्ट से उसका पक्ष जाने वगैर ही एक पक्षीय रूप से निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जो काबले मंसूखी है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2015, उपवन संरक्षक सवाई माधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 29.3.2016, तहसीलदार बौली की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2015 की रिपोर्ट में अपीलान्ट के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। जिस अति0 पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 31.8.2015 को आधार बनाया गया है उसमें भी क्रम संख्या 01 लगायत 04 के अंतर्गत अपीलान्ट के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी न की जाकर पक्ष में रिपोर्ट अंकित की है किन्तु अन्तिम पैरा में नोट अंकित करते हुये यह लिख दिया गया है कि अपीलान्ट को जानमाल का खतनाहोना प्रकाश में नहीं आया। आवेदक अधिकांश समय अपने निवास स्थान ग्राम पीपलदा मे नहीं रहकर वर्तमान में जयपुर रहना जानकारी में आया है तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट सुरक्षा के लिये नहीं बल्कि दिखावे के लिये हथियार लेना चाहता है और फिर नो रिक्मेन्डेड अंकित कर दिया गया है किन्तु इन तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है केवल कयास बतौर इस प्रकार अंकित किया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। इसी रिपोर्ट में अपीलान्ट की हैसियत अच्छी मानी है, आचरण एवं शौहरत ठीक मानी है, अपीलान्ट को आपराधिक पृष्ठभूमि का भी नहीं माना है और अपीलान्ट की गतिविधियों संदिग्ध भी नहीं मानी है फिर भी नो रिक्मेन्डेड अंकित किया जाना समझ से परे है। न ही अपीलान्ट को उक्त तथ्यों के संदर्भ में अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका दिया गया केवल इस रिपोर्ट दिनांक 31.8.2015 को आधार बना लिया गया जबकि अन्य विभागों से रिपोर्टों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया यह अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि जिले की शान्ति व्यवस्था के लिये उत्तरदायी अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की गोपनीय रिपोर्ट दिनांक 27.10.2015 को कोई तवज्जो नही दी गई है। जबकि जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2015 में अपीलान्ट के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। बल्कि इस रिपोर्ट में न तो अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक मामला विचाराधीन माना है न ही किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धी माना है, न ही यह माना है कि अपीलान्ट के विरूद्ध कभी शान्ती भंग करने का कोई कार्यवाही हुई हो अथवा अब विचाराधीन है बल्कि इस रिपोर्ट में तो अपीलान्ट के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित मानते हुये अपीलान्ट के पक्ष में अनुशंषा की जाकर अपनी अनापत्ति प्रेषित की गई है। बाबजूद इस रिपोर्ट व अन्य विभागो की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया गया और अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र बाबत नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र को पत्रित कर दिया गया जो कतई न्यायोचित नहीं है। जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी पैदा हो गई है। वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि अपीलान्ट शांतिप्रिय सामाजिक व्यापारी व्यक्ति है। जिसके विरूद्ध न तो कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है न वर्तमान में है। एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन महत्वपूर्ण होता है। जिसकी ताईद जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2015 एवं अति0 पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 31.8.2015 की क्रम संख्या 01 लगायत 04 बखूबी करती है। फिर भी तहत अदालत ने सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित कर दिया गया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी भी नहीं होने दी। अपने प्रार्थना पत्र की जानकारी करने जब में तहत अदालत के समक्ष गया तो दिनांक 2.1.2019 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तत्सयम नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 3.1.2019 को नकल प्राप्त हुई तदोपरान्त तदोपरान्त वकील से सम्पर्क किया व दस्तावेजों की पूर्ति कर यह अपील होने जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट एक सामाजिक व्यापारी व्यक्ति है व्यापार के सिलसिले

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में आना जाना रूपये पेसों का लेन देन तथा जानमाल की सुरक्षा तथा किसी अनहोनी वारदात के मध्यनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा तहत अदालत का निर्णय दिनांक 20.6.2016 निरस्त किया जावे ।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि अपीलान्ट मुकेश कुमार द्वारा दिनांक 26.2.2015 को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहत अदालत द्वारा नियमानुसार संबधित समस्त विभागों से इस संबध में रिपोर्ट तलब की गई। जिनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 जोन भरतपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 31.8.2015 में अंकित किया है कि आवेदक को जानमाल का खतरा होना प्रकाश में नहीं आया है। आवेदक अधिकांश समय अपने निवास स्थान ग्राम पीपलदा में नहीं रहकर वर्तमान में श्याम नगर जयपुर में रहना जानकारी में आया है। आवेदक को सुरक्षा हेतु नहीं बल्कि दिखावे के लिये हथियार लेना चाहता है– नो रिक्मेन्डेड अंकित किया है। जिसके आधार पर तहत अदालत ने बाद परीक्षण अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2016 पारित किया गया है जो उचित है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर भी दिया है । इसके अलावा अपीलान्ट के द्वारा अपील मियाद बाहर भी पेश की है जिसका कोई भी सन्तोषजनक कारण अपीलान्ट की ओर से अपील में स्पष्ट नहीं किया गया। इसलिऐ यह अपील मियाद बिन्दु पर भी खारिज की जावे। अपीलान्ट द्वारा यह अपील बिना किसी कारण बिना कोई ठोस आधार के पेश की है जो काबिल निरस्तनीय है। अन्त में सहायक लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.6.2016 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
''Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। रिकार्ड अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलान्ट की ओर से तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये गये नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु प्रार्थना पत्र पर तहत अदालत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये संबधित सभी विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है। तहत पत्रावली में उपलब्ध पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2015, उपवन संरक्षक सवाई माधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 29.3.2016, तहसीलदार बौली की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2015 के अंतर्गत अपीलान्ट के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। इसके अलावा जिस अति0 पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 31.8.2015 को अपीलाधीन आदेश में आधार बनाया गया है उसमें भी क्रम संख्या 01 लगायत 04 के अंतर्गत अपीलान्ट के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी न की जाकर पक्ष में रिपोर्ट अंकित की है किन्तु अन्तिम पैरा में नोट अंकित करते हुये यह लिख दिया गया है कि अपीलान्ट को जानमाल का खतरा होना प्रकाश में नहीं आया। आवेदक अधिकांश समय अपने निवास स्थान ग्राम पीपलदा मे नहीं रहकर वर्तमान में जयपुर रहना जानकारी में आया है तथा अपीलान्ट सुरक्षा के लिये नहीं बल्कि दिखावे के लिये हथियार लेना चाहता है और फिर नो रिक्मेन्डेड अंकित कर दिया गया है। यह टिप्पणी तथ्यात्मक न होकर कयास प्रतीत होती है। जबकि इस टिप्पणी के संबध में तहत अदालत को चाहिऐ था कि वे तथ्यात्मक आधार/साक्ष्य तलब करें ताकि उक्त टिप्पणी की प्रमाणिकता सिद्ध हो सके। बिना तथ्यात्मक आधार के यह टिप्पणी मात्र कयास ही प्रतीत होती है। जबकि जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 27.10.2015 में तो अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित मानते हुये स्पष्ट अनापत्ति प्रेषित की गई है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट को सवाईमाधोपुर का निवासी ही नहीं माना है जबकि तहत पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2015 , निर्वाचन पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, इस बात की ताईद करते है कि अपीलान्ट ग्राम पीपलदा तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर का निवासी है। यह अलग बात है कि वह व्यापारी है और अपने व्यवसाय के सिलसिले में बाहर आता–जाता रहता है जो वह स्वयं स्वीकार भी करता है और उसी मकसद से किसी अप्रिय घटना की आशंका के मध्यनजर उसके द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु तहत अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा सभी रिपोर्ट्स पर गौर न करते हुये केवल कयास के आधार पर अति0 पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन भरतपुर द्वारा की गई अन्तिम पैरा की टिप्पणी को अपीलाधीन आदेश के अंतर्गत आधार बनाया जाना प्रतीत होता है। जो न्यायोचित नहीं रहता है। लिहाजा प्रकरण में उपर्युक्तानुसार सभी तथ्यों पर पुनः जांच किया जाना ही न्यायोचित रहता है और अपील अपीलान्ट पुनः नये सिरे से जांच हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये संबधित विभागों से प्राप्त रिपोर्ट्स पर मनन करते हुये पुनः नये सिरे से गुणावगुण के अधार पर तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official